232

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1954-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-5-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक अपील 643/अ-6/08-09 एवं अपील 639/अ-6/08-09.

1- रामकृपाल तनय मनकू यादव
2- बेनीबाई बेवा मनकू यादव
3- नन्हीबाई बेवा मनकू यादव
4- रामेश्वर तनय मनकू यादव
5- रामेश्वर तनय मनकू यादव
6- रामकुंवर बेवा स्व. रामस्वरूप यादव
7- राजेश तनय स्व. रामस्वरूप यादव
8- बृजेश तनय स्व. रामस्वरूप यादव
समस्त निवासी - तमराई मोहल्ला,
बंछियावाई, वार्ड नंबर-9 छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1- नंदू तनय मुन्ना यादव
2- रज्जू तनय मुन्ना यादव
दोनों निवासी -तमराई मोहल्ला
जिला छतरपुर म0प्र0
3- मुन्ना यादव तनय श्री बंदी यादव
4- केशरबाई पत्नी मुन्ना यादव
निवासी अमानगंज मोहल्ला छतरपुर
5- गुंदी तनय मुकुवा यादव
निवासी तमराई मोहल्ला छतरपुर म0प्र0
6- रामदयाल तनय बिट्टो यादव
निवासी लोधी कुईया के आगे, वार्ड नंबर 11
छतरपुर जिला छतरपुर
7- हरप्रसाद तनय बिट्टो यादव
निवासी वार्ड वास रोड, वार्ड नंबर 11, छतरपुर
8- मुस. सरोज बेवा हरदयाल यादव
9- लल्लू तनय हरदयाल यादव
10- श्रीराम तनय हरदयाल यादव

11- कु0 सीता पुत्री हरदयाल यादव
12- कु0 रीता पुत्री हरदयाल यादव
13- मुनाबाई पत्नी धूराम यादव
निवासीगण ग्राम पिपरी, तहसील नौगांव
जिला छतरपुर म0प्र0
14- बिना पुत्री मुलुवा यादव पत्नी श्री अर्जुनसिंह यादव
निवासी ग्राम दोनी तहसील नौगांव
जिला छतरपुर म0प्र0
15- मध्यप्रदेश शासन

---- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता, श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता, श्री के0 के0 द्विवेदी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 21-10-2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक अपील 643/अ-6/08-09 एवं अपील 639/अ-6/08-09 में पारित आदेश दिनांक 09-5-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य आवेदक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पलौठा स्थित भूमि खसरा नं. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228/2 कुल किता 7 कुल रकबा 28.42 में उनके पूर्वज गनेशा अहीर का हिस्सा 1/2 था । उक्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा दिनांक 23-8-1969 को षडयंत्रपूर्वक अपना नामांतरण नायब तहसीलदार से कराया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा दिनांक 12-1-09 को 39 वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 54/अपील/08-09 पेश की । दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील में दिनांक 20-3-09 को आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि आवेदकों को संबंधित नकलें दिनांक 17-12-07 को प्राप्त हो चुकी थीं फिर भी दिनांक 5-12-07 से 20-1-09 तक के विलंब के लिए कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि मुन्ना यादव का नामांतरण पंजी क्रमांक

3 दिनांक 15-10-67 पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-8-69 द्वारा किया गया था उक्त आदेश की कोई नकल पेश नहीं की गई है, और ना ही बिना आदेश के नकल पेश करने की अनुमति ली है । उपरोक्त कारणों से उन्होंने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवण योग्य न होने के कारण निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील क्रमांक 643/अ-6/08-09 पेश की गई है ।

आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत अपील के अतिरिक्त तहसील न्यायालय में एक आवेदन रिकार्ड संशोधन हेतु भी पेश किया । उक्त आवेदन तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7-5-08 द्वारा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 55/अपील/08-09 पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 20-3-09 द्वारा निरस्त की है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील क्रमांक 639/अ-6/08-09 पेश की गई है ।

अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलों में पेशियां बढ़ने एवं अपर आयुक्त के पद पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त न होने कारण आवेदकों द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी 1-7-14 को पेश की गई है । जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, अपर तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के आलोच्य अंतरिम आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश विधि विधान के विपरीत है। यह भी कहा गया अनुविभागीय अधिकारी ने इस बात पर कतई विचार नहीं किया कि अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के पिता का नाम फर्जी रूप से 1969-70 में दर्ज किया गया है और ऐसी फर्जी प्रविष्टि के आधार पर अनावेदक क्रमांक 3 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है । वर्ष 1969 में जो नामांतरण किया गया है वह विधिवत प्रक्रिया का पालन किये बिना किया गया है अतः उक्त आदेश निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक क्रमांक 3 का नामांतरण पंजी क्रमांक 3 में पारित आदेश दिनांक 23-8-69 को किया गया था । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने 39 वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई है । अपील के साथ ना तो विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की गई और ना ही उससे मुक्ति हेतु आवेदन दिया गया । यह भी कहा गया कि विलंब क्षमा के आवेदन में जो आधार बताया गया है वह भी

समाधानकारक नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई है, जिसमें कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है ।

यह तर्क भी दिया गया कि आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के दो अलग-2 आदेशों के विरूद्ध दो अलग-2 अपीलें की गई हैं जबकि इस न्यायालय में उक्त दोनों अपीलों में की जा रही पृथक-2 कार्यवाही के विरूद्ध एक ही अपील पेश की गई है, जो निरस्ती योग्य है ।

5/ जबाव में आवेदकों के अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है, अतः उन्हें पुनः प्रचलनशीलता पर आपत्ति करने का अधिकार नही है । यह भी कहा गया कि जब आवेदकों ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की उस समय अपर आयुक्त का पद रिक्त था और चूंकि इस न्यायालय को अधीनस्थ सभी न्यायालयों के निर्णयों की वैधता के परीक्षण का अधिकार है इस कारण इस न्यायालय द्वारा ही प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर किया जाये ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि नामांतरण पंजी क्रमांक 3 में नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23-8-69 द्वारा विधिवत प्रकिया उपरांत तत्समय के खातेदार मुलुआ - गनेशा के स्थान पर अनावेदक क्रमांक 3 का नामांतरण स्वीकार किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने 39 वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12-1-09 को अपील पेश की गई है । इस 39 वर्ष के असाधारण विलंब का कोई समुचित एवं समाधानकारक कारण उनके द्वारा नहीं दिया गया है । आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के पैरा 2 में जानकारी के संबंध में यह कहा गया है कि अनावेदक रज्जू द्वारा अपर तहसीलदार के यहां प्रश्नाधीन आदेश की छायाप्रति पेश की जब उन्हें जानकारी हुई परंतु अनावेदक रज्जू द्वारा अपर तहसीलदार के समक्ष कब और किस दिनांक को तथा किस प्रकरण में आदेश की प्रति पेश की इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसी आवेदन के पैरा 3 में जानकारी के संबंध में यह कहा गया है कि अनावेदक कं. 1 एवं 2

के पिता के नाम भूमि कब दर्ज हो गई इस बात की जानकारी आवेदकों को जब हुई जब अनावेदक नब्दू द्वारा दिनांक 5-12-07 को भूमि का सीमांकन कराया गया इसके पूर्व इस बात की जानकारी नहीं थी । इस प्रकार आवेदकों द्वारा जानकारी के संबंध में अलग-2 कथन आवेदन में किए गए हैं, जो किसी भी दृष्टि से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं । आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति के बिना प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ बिना प्रमाणित प्रतिलिपि के अपील पेश किए जाने की अनुमति हेतु आवेदन भी पेश नहीं किया गया है, जबकि संहिता की धारा 48 के तहत अपील के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किया जाना आदेशात्मक प्रावधान है । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1962 एस0सी0 361 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि

> " यदि प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण नहीं दिया और पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया तब इस तरह के प्रकरण में विलंब हेतु माफी नहीं दी जा सकती । "

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायदृष्टांत के आधार पर इसी प्रकार का अभिनिर्धारण न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1986 एम0पी0पेज 236, 1986 एम0पी0एल0जे0 148, ए0आई0आर0 1984 एस0सी0 41 एवं न्यायदृष्टांत 1989 आर0एन0 243 में किया गया है ।

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2000(1) एमपीडब्लूएन नोट 55 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि -

> " परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5 विलंब की माफी के लिए अविश्वसनीय कथा बताई आवेदन ठीक ही खारिज किया गया इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1998(2) एमपीडब्लूएन नोट 190 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5 - 569 दिवस का दीर्घ विलंब - समाधानपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं - माफ नहीं किया जा सकता । "

जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपील 39 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है और उसमें जो विलंब के कारण दिए गए हैं वे समाधानकारक नहीं है । उपरोक्त स्थिति में इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि बाह्य

मानकर एवं प्रचलन योग्य न होने से निरस्त करने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई है ।

7/ जहां तक आवेदकों द्वारा रिकार्ड सुधार करने संबंधी प्रस्तुत आवेदन को तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त करने एवं तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किए जाने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में उक्त आदेश अपने स्थान पर उचित और न्यायिक हैं और उनमें भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । चूंकि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रकरण के गुणदोषों पर विचार कर निरस्त की जा रही है, इस कारण अपर आयुक्त न्यायालय में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील क्रमांक 643/अ-6/08-09 एवं अपील क्रमांक 639/अ-6/08-09 निरर्थक हो गई हैं, अतः उनमें प्रचलित कार्यवाही भी समाप्त करते हुए उक्त अपीलें भी निरस्त की जाती हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाते हैं ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर